

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 112/2019

शिवराज सिंह शेखावत पुत्र किशोर सिंह, पता-वार्ड न0 14 ग्राम पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) उदयपुरवाटी।

सूचना का अधिकार अधिनियम  
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 24.07.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.06.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 112/2019 पर दिनांक 25.06.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/907-08 दिनांक 01.07.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पाठक/सू0अ0/19/387 दिनांक 11.07.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने पर आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/सू0अ0/19/311 दिनांक 13.06.2019 द्वारा निर्धारित अवधि में ही उपलब्ध करवादी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक पाठक/सू0अ0/19/311 दिनांक 13.06.2019 द्वारा निर्धारित अवधि में ही उपलब्ध करवादी गई थी। अपीलार्थी को सूचना की बाबत सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रवि जैन )

जिला कलक्टर, झुंझुनू  
जिला कलेक्टर झुंझुनू